न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2017

RCMS Case No. 2017/00363

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. लक्ष्मणसिंह पुत्र बंशीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मुरडावा रोड़, चण्डावल नगर तहसील सोजत		1. सरकार जरिये तहसीलदार सोजत 2. अमाराम पुत्र किशनाराम जाति जटिया निवासी चण्डावल तहसील सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः–25/10/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 02/2017 बअनवान अमाराम बनाम लक्ष्मणसिंह अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 एवं 22.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट अमाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें यह निवेदन किया कि अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट द्वारा उसकी खातेदारी भूमि ग्राम चण्डावल नगर के खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.8300 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है, जिसे हटवाया जाकर भूमि पुनः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सुपुर्द कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही दिनांक 10.10.2017 को अपीलाण्ट का जवाब बन्द कर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 10.10.2017 को रिव्यू

अति० जिला कलक्टर, पाली

कराने का निवेदन किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया गया। इसके पश्चात दिनांक 07.11.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2017 को खारिज करते हुए आदेश दिनांक 10.10.2017 को पुनः बहाल कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रार्थी की साक्ष्य ली तथा न ही अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा जिरह करने का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की भौतिक रिपोर्ट ही तलब नहीं की, मात्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कथनों को सत्य मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम चण्डावल में किशना नाम के दो व्यक्ति थे, जो किशना पुत्र पीथा एवं किशना पुत्र दौला थे। खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.8300 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1556 रकबा 0.9000 हैक्टेयर की भूमि किशना पुत्र दौला की खातेदारी भूमि थी। अप्रार्थी संख्या 2, किशनाराम पुत्र पीथाराम का पुत्र है। किशना पुत्र दौला लाऔलाद फौत हो चुका है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट लक्ष्मणसिंह की भूमि खसरा नम्बर 1555, जैर अपील विवादित आराजी के पास स्थित होने से अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अपीलाण्ट संख्या 1 उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। अमाराम, जो कि किशना पुत्र पीथा का पुत्र होते हुए भी उसके द्वारा स्वयं को किशना पुत्र दौला का पुत्र होना बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 1405 दयार करवाया एवं खसरा नम्बर 1554 व 1556 की भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी। इसके पश्चात किशना पुत्र दौला व किशना पुत्र पीथा की भूमि को साथ करते हुए एक बंटवाडा कर खसरा नम्बर 1554 एवं 1556 की भूमि अपने नाम से दर्ज करवा दी। इसके पश्चात खसरा नम्बर 1556 की भूमि चन्द्रप्रकाश पुत्र दयाराम कौम रेगर को बेचान कर दी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1572 दायर हुआ। अब खसरा नम्बर 1554 की भूमि को हडपने एवं बेचने के आशय से जैर अपील प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किए बिना एवं अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील विवादित आराजी पर भौतिक रूप से अपीलाण्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त न होकर अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 का कब्जा काश्त है, जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा भूमि के मूल काश्तकार किशना पुत्र दौला के परिवार के सदस्य होने के नाते जैर अपील विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों की जांच ही नहीं की गई एवं न ही अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने के कारण रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ

अति० जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच कर नियमों में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम चण्डावल के खसरा नम्बर 1554 रकबा 0.8300 हैक्टेयर की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार अमाराम पुत्र किशनाराम कौम जटिया सा0 देह खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा कब्जा करने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (ख) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि से अपीलाण्ट का अतिक्रमण हटाने एवं भूमि का कब्जा पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सुपुर्द कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट द्वारा जिन तथ्यों को अपील में उठाया गया है, उन्ही तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस में रेखांकित किया है। अपीलाण्ट को यदि किसी भी तथ्य को लेकर अथवा राजस्व रेकर्ड की प्रविष्ठियों के सम्बन्ध में कोई संशय आदि था, तो उसे सक्षम न्यायालय के तहत नियमित वाद दायर करवाया जाना चाहिए था, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रकरण में प्रथम दृष्टया भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम की खातेदारी दर्ज तथा रेस्पोडेन्ट की जाति जटिया है, जो अनुसूचित जाति में शुमार है एवं स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में यह स्वीकार किया है कि जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है जबकि अपीलाण्ट की जाति रावणा राजपूत है, जो गैर अनुसूचित जाति से ताल्लुख रखता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही करते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए पुनः कब्जा अनुसूचित जाति के व्यक्ति, जो कि खातेदार है, को सुपुर्द करने के प्रावधान है। इस सम्बन्ध में आर0बी0जे0 1996 (3) पेज 45 का सहारा लिया, जिसमें प्रतिपादित किया कि "RAJASTHAN TENANCY, 1955- SECTION 183 B - NATURE OF PROCEEDING SUMMARY. If any person has trespassed on the Khatedari or Gair khatedari land of the scheduled caste, he can be ejected summarily without following the procedure which is required to be followed in regular suit-such as framing of issues and recording of evidence in detail etc. In the present case petitioner was given an opportunity to prove his title which he could not prove. Therefore, Board of Revenue rejected the revision petition." इसी प्रकार आर0बी0जे0 1999 (6) पेज 161 में प्रतिपादित किया कि "RAJASTHAN TENANCY, 1955- SECTION 183 B - The purpose of Section 183 B is render justice to the persons of Scheduled caste and Scheduled tribe expeditiously. The procedure prescribed under Section 183 B is summary. It has been enacted with a view to give immediate relief to the persons of Scheduled caste and Scheduled tribe. Therefore, if the long procedure is followed then the very purpose of summary proceeding will be defeated." आर0बी0जे0 2001 (8) पेज 317 में प्रतिपादित किया कि "RAJASTHAN TENANCY, 1955-

जिला कलक्टर, पाली

SECTION 183 B - Proceedings under this Section is summary- Therefore same should be decided as early as possible. therefore under the circumstances when the Tehsildar after analysing the existing evidence produced by the parties after the remand order of the High Court had passed its order and came to the conclusions that theory of Will was not proved beyond doubt and thus he accepted the application presented under Section 183 B." इसी बिन्दु पर आर0बी0जे0 1999 (8) पेज 364 में प्रतिपादित किया कि "RAJASTHAN TENANCY, 1955- SECTION 183 B - A person who has taken or retained possession without lawful authority of land held by a tenant belonging to Scheduled Caste and Scheduled tribe is a trespasser- The Sub-section (1) of Section 183B merely does not refer to a case of trespasser who has encroached upon the land forcibly but it also refers to a person who has taken or retained possession without lawful authority of land held by a tenant belonging to Scheduled Caste & Scheduled Tribe. Undoubtedly a person who has been allotted land subsequent to the allotment made in favour of member of Scheduled Caste, which subsists, would not confer any title or interest on the subsequent allottee to retain possession thereunder and enjoy the fruits of possession of such land against the interest of prior allottee. The prior allottee being a member of Scheduled Caste is intitled to secure possession from such subsequent allottee whose continued possession is without lawful authority of law. Instead of being relegated to file a regular suit for recovery of possession from the person who is in possession eithout lawful authority under Section 183B, the possession could be recovered by the holder of the land from subsequent allottee by filing the application u/S 183B for evicting Section 183B is apparently to provide speedy remedy by resorting to summary proceedings for restoring possession to a member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe who has been so deprived of it without lawful authority. The meaning of expression used in Section 183B taken its color from the context and object with which Section 183B has been enacted." इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि अन्य बिन्दु जिन पर पक्षकारान् में मतभेद हो, विचार बिन्दु विरचित किए जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (ख) की मंशा यह कदापि नहीं है कि प्रकरण की सुनवाई इतनी लम्बी चलाई जावे कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण को लम्बे समय तक टाला जा सके। यह प्रावधान इसलिए किया गया है, ताकि इस श्रेणी के व्यक्तियों को त्वरित गति से विधि सम्मत लाभ प्रदान किया जा सके। धारा 183 (बी), अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है, जिसकी उपधारा 2 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि उक्त धारा (1) में दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र पर जांच अतिक्रमण के आरोपी को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात संक्षेप में कार्यवाही की जावेगी। संक्षेप रूप में (summary proceedings) से तात्पर्य यह है कि वह प्रक्रिया जो दावों में अपनाई जाती है, का इन कार्यवाही में अपनाया जाना आवश्यक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 02/2017 बअनवान अमाराम बनाम लक्ष्मणसिंह अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 एवं 22.11.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली